राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमाक राजपत्रित/सामान्य/प 156/2019/500 दिनाक 27/9/19

सबधित मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय : आयुर्वेदाचार्य पाठयक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रशासनिक विभाग के अनुमति पत्र क्रमाक प25 (9) चिस्वा/2/2012 दिनाक 08.05.12 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनाक 06.10.10 के अनुसार आयुर्वेदाचार्य पाठयक्रम मे प्रवेशित छात्र/छात्राओ को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण अवधि 06 माह का कार्यक्रम निर्धारित करते हुए शेष रहे 06 माह के प्रशिक्षण हेतु उक्त अधिसूचना के बिन्दू सख्या 06 के अनुसार इस विभाग के फार्मेसी /पीएचसी / ग्रामीण औषधालय अथवा जिला अस्पताल मे उक्त प्रशिक्षण पूरा करने का विवरण अकित है।

अत आपको आदेश दिये जाते है कि इस विभाग को अग्रेषित निम्नाकित छात्र/छात्राओ को प्रशिक्षण हेतु आपके अधीन संस्थान मे प्रशिक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का श्रम करे –

क्र स	CMHO जिनके अधीन इन्टर्नशिप की जानी है	छात्र/छात्रा का नाम	निवास का पता
1	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू	डॉ0 सदीप वर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र	ग्राम पोस्ट गौरीर तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू
2	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमद	डॉ0 गीताजली मीना पुत्री श्री दिनेश चन्द्र मीना	पुराने सरकारी अस्पताल के पास दौसा तहसील व जिला दौसा।
3	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर	डॉ0 कुमारी अन्जु पुत्री श्री हेमराज सिंह	ग्राम पोस्ट गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू
4	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगगानगर	डॉ0 आशादीप पुत्री श्री गुरमीत सिंह	ग्राम पोस्ट मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमाक . राजपत्रित/सामान्य/प- 156/2019/500 दिनाक 27/9/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 शासन उप सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2 कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3 निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4 सबधित छात्र/छात्रा को पालनार्थ।
5 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को **आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने** की व्यवस्था करावे।
6 रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।